संख्या-854/2025/2859/41-1-2025-CN-1741264-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: **17** अक्टूबर, 2025

विषय:-जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण कार्य की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1204/6-1-1/(1638)/2024 दिनांक 13 जून, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपदलखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय केनिर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० के माध्यम से प्रायोजनान्तर्गत इण्टरप्रिटेशन सेन्टर (प्रथम फेस) के कार्यों को सम्मिलितकरते हुए संशोधित विस्तृत गठित आगणन रू0 2366.92 लाख की स्वीकृति हेतुअग्रतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उत्तर प्रदेशप्रोजेक्टकारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेशसंख्या-618/2023/आई/389193/001-41-1002-001-128-2023-291-बजट-2023, दिनांक 15सितम्बर, 2023 द्वारा धनराशि रू0 2295.22 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 494.00 लाखएवं शासनादेश संख्या-396/2024/801/41-1-2024-CN-1741264, दिनांक 15मार्च, 2024 द्वारा धनराशि रू0 2366.92 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत कीगयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण कार्यहेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 2317.95 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग**,** उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश दिनांक 15सितम्बर, 2023 एवं दिनांक 15मार्च, 2024में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक12 मई**,** 2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों काअनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अगली किश्त निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रश्नगत कार्य पर धनराशि का नियमानुसार व्यय टेण्डर लागत के आधार पर वास्तविक रूप से किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय।

(5) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता तथा मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025**,** दिनांक 27 मार्च, 2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2**,** दिनांक 15-01-2021 के अनुपालन में विद्यालय का निर्माण दिव्यांगजन हेतु हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा "Harmonized guide linesand standards for universal accessibility in india, 2021"में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भी पुनरीक्षित आगणन पर सक्षम स्तर का अनुमोन प्राप्त किया जायेगा।

(9) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75**,** दिनांक 17 मई**,** 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये**,** किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों से सम्बन्धित सामग्री की लागत प्रायोजना में उपभोग (CONSUMED)की गयी सामग्री यथा-सीमेन्ट, स्टील इत्यादि की मात्राओं का अनुपातिक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) प्रायोजनान्तर्गत वी0आर0वी0 सिस्टम 200 एस0पी0 का प्रावधान किया गया है। वी0आर0वी0 सिस्टम की स्थापना का कार्य न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों यथा-वी0आर0वी0 सिस्टम, विद्य़त सम्बन्धित कार्य लाइट एण्ड फिक्सर्स आदि की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्ताावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(16) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(17) प्रायोजना में पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(18) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(19) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रायोजना में विस्तृत आगणनर(डी0पी0आर0) में दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-272कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-294 कैम्प/मु0अभि0(भवन)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के अनुसार एवं कतिपय ऐसी कार्यमदें जो डी0एस0आर0 की दरों में उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा जायेगा।

(21) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माणलागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन केसम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेशसंख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेशसंख्या-02/2023/ए-2-66/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहितदिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-65-दस-2025-26, दिनांक 25 सितम्बर, 2025में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी**,** जवाहर भवन**,** लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक**,**उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0**,** लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक**,**उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण **(**UPNEDA**)**,लखनऊ।
8. उप निदेशक**,** पर्यटन**,** क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय**,** लखनऊ ।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।